तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./3893/2004/राजसमन्द** **रामलाल बनाम नरपतसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री ईश्वर देवड़ा, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1
(3) श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय **दिनांकः 25.03.2021**

हस्तगत निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–08–2004 अपील सं0 19/2004 शीर्षक **''नरपतसिंह बनाम रामलाल व अन्य''** के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कुम्भलगढ़ के समक्ष प्रार्थी ने राजस्व वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम आमेट की आराजी खसरा नं0 3160 रकबा 0–1000 है0 भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार होकर काबिज चला आ रहा है। अतः उसने अप्रार्थी सं0 1 से 4 के विरूद्ध या अपने ऐजेण्ट इत्यादि से प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी में कोई हस्तक्षेप नहीं करनें एवं न कोई निर्माण कार्य करें, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को तलब करते हुए दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 28–05–2004 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर लिया जिस निर्णय दिनांक 28–05–2004 से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 25–08–2004 से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28–05–2004 को निरस्त करते हुए अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./3893/2004/राजसमन्द** **रामलाल बनाम नरपतसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कर लिया जिस निर्णय दिनांक 25–08–2004 से व्यथित होकर प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं कार्यवाही मिसल के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु को नजर अंदाज कर दिया कि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करना या नहीं करना परीक्षण न्यायालय का स्व–विवेकीय आदेश है जिसको प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी साक्ष्य तथा शपथपत्रों के आधार पर निर्णय पारित किया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु को भी नजर अंदाज कर दिया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार वर्तमान में प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में अंकित है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु को भी नजर अंदाज कर दिया कि प्रतिवादी/प्रार्थी सं0 2 दिनांक 13–12–1985 को जिस दिन जेफा उक्त भूमि क्रय करना अंकित करता है, उस दिन प्रतिवादी/प्रार्थी का जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है उसके अनुसार वह 18 वर्ष का नहीं था। इसलिए प्रतिवादी/प्रार्थी सं0 2 जो तथाकथित विक्रय दिनांक 13–12–1982 को जेफा के पक्ष में बताया जा रहा है, वह पूर्णतया अवैद्य एवं कानूनन शून्य है तथा उक्त अवैद्य विक्रय पत्र के आधार पर तथा जेफा से भूमि वादी/विपक्षी सं0 1 द्वारा दिनांक 30–5–1983 को खरीदने के आधार पर वादी/विपक्षी सं0 1 विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं हो सकता है। इसी विवादित भूमि बाबत् पूर्व में प्रतिवादी/प्रार्थी सं0 2 व 3 द्वारा एक वाद विरूद्व जेफा उव अन्य खातेदारान तथा वादी/विपक्षी सं0 1 के विरूद्व न्यायालय सहायक कलक्टर, राजसमन्द के यहां बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया तथा उक्त वाद में दिनांक 29–3–93 को स्थाई निषेधाज्ञा जारी की कि आराजी खसरा नं0 3160 रकबा 0–1000 ऐयर भूमि में मांगू व पोखर के कब्जे काश्त में कोई दखलंदाजी नहीं करें। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में रेकार्ड पर उपलब्ध शहादत को नजर अंदाज कर प्रथम दृष्ट्या मामला, अपूरणीय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./3893/2004/राजसमन्द** **रामलाल बनाम नरपतसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

क्षति व सुविधा का संतुलन वादी/विपक्षी सं0 1 के पक्ष में मानकर निर्णय जैर निगरानी पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में नामान्तरकरण से संबंधित निर्णयों को अत्यधिक महत्व देकर एवं प्रार्थी सं0 2 व 3 के बालिग होने के बाद विक्रयपत्र को निरस्त नहीं कराने मात्र से वादी/विपक्षी सं0 1 की अपील को स्वीकार कर अपने निहित क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग किया है जबकि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है तथा वाद पर उसका कोई असर नहीं होता है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अजनबी क्रेता को सह काश्तकार मानकर अपने में निहित क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग किया है जबकि प्रतिवादी/प्रार्थी सं0 2 ल0 4 खातेदार काश्तकार हैं। इसलिए अजनबी क्रेता मूल खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 25-08-2004 निरस्त किया जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ का निर्णय दिनांक 28-05-2004 यथावत् रखा जावें।

5- प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के तर्को का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का विवादित भूमि खसरा नं0 3160 रकबा 0-1000 है0 में 1/3 हिस्सा था जो जेफा को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान कर दिया जिसे पुनः वादी/विपक्षी सं0 1 ने दिनांक 30-05-1983 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के हिस्सा खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया तब से वह काबिज चला आ रहा है। विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह उचित एवं कानून सम्मत होने से निगरानी खारिज योग्य है।

6- हमने विद्वान अधिवक्तागण की निगरानी बहस पर मनन किया तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया।

7- विद्वान भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 25-08-2004 में अंकित किया कि प्रत्यर्थीगण खसरा नं0 3160 के न तो अब खातेदार है एवं न ही कब्जेधारी। ऐसी स्थिति में अपीलांट जो खसरा नं0 3160 का अन्य अविवादित सह खातेदारों के साथ सह खातेदार हो चुका है। अतः प्रत्यर्थी 1 से 4 अब

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./3893/2004/राजसमन्द** **रामलाल बनाम नरपतसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलांट की दृष्टि से अजनबी है तथा ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध निश्चित रूप से निषेधाज्ञा जारी कर एक सह काश्तकार के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28–5–2004 निरस्त किया जाता है। विद्वान सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कुम्भलगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 28–5–2004 में माना कि प्रकरण में वाद का निर्णय होने तक विपक्षी सं0 1 को पंजीकृत दस्तावेज बयनामा दिनांक 12–7–2000 द्वारा विक्रय की गई भूमि भाग को विवादित आराजीयात से पृथक मानकर शेष आराजीयात जिसके स्वत्व का निर्णय वाद के दौरान होगा, पर मौके पर यथावत स्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थी सहित वि0सं0 2 से 4 को पाबन्द किया जाना उचित होगा ताकि मामले में अनावश्यक लिटिगेशन से बचा जा सकें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। 8– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि नकल जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द सम्वत् 2055 में अंकित है कि ना0क0सं0 1393 दिनांक 25–7–2000 द्वारा बिकाव से आराजी नं0 3160 रकबा 0–1000 में से मांगू पोखर पिता नाराण हिस्सा 184/1000 के बजाय रामलाल पिता वरदीचन्द टांक (कलाल) हिस्सा 184/1000 दर्ज करने की स्वीकृति हुई। अर्थात रामलाल पिता वरदीचन्द टांक (कलाल) विवादित आराजीयात का रेकार्डेड खातेदार है। 9– एक रेकार्डेड खातेदार को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28–5–2004 द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् मौके की यथावत् स्थिति से मुक्त किया गया। 10– विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 25–8–2004 से अंकित किया कि जमाबन्दी सम्वत् 2055–58 के इन्द्राज संदेह से परे सही नहीं माने जा सकते हैं। यह भी सही है कि दिनांक 30–5–1983 को जेफा पिता थाना राव का खसरा नं0 3160 की 1/3 हिस्सा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के हाल अपीलांट को विक्रय कर कब्जा दे दिया। अतः जमाबन्दी में अपीलांट का इन्द्राज न आने मात्र से यह नहीं माना जा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./3893/2004/राजसमन्द** **रामलाल बनाम नरपतसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सकता कि वह खातेदार नहीं है। प्रथम विक्रयपत्र दिनांक 13–12–1982 में कब्जा जेफा को सुपुर्द करके विक्रेता हाल प्रत्यर्थी सं0 2 से 4 द्वारा अपने समस्त अधिकार समर्पित करके हक व कब्जा छोड़ दिया। अतः जहां तक खातेदारी का प्रश्न है, खसरा नं0 3160 के 1/3 हिस्से की खातेदारी अपीलांट की सिद्ध होती है।

11– विद्वान अपीलीय न्यायालय का उक्त कथन उचित नहीं है। विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष तो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1–2 व धारा 151 जा0दी0 में किये गये निर्णय दिनांक 28–5–2004 में अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी कानून, 1955 विचाराधीन थी। पक्षकार के हक व अधिकार तो मूल दावे में तय होगें लेकिन रेकार्डेड खातेदार प्रत्यर्थी सं0 1 के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या केस मानकर विद्वान अपीलीय न्यायालय ने जमाबन्दी (खैवट खतौनी) का उचित मूल्यांकन नहीं किया है जो उचित नहीं है। अतः विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से काबिल खारिज योग्य है।

12– अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी की स्वीकार की जाती है। विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–8–2004 निरस्त किया जाता है एवं विद्वान सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कुम्भलगढ़ का आदेश दिनांक 28–5–2004 यथावत रखा जाता है।

13– पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नंबर से कम की जावें और बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य